

प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक : 16.08.2026

भूमि ववाद में फावड़े से हमला करने वाले अभियुक्त गरफ्तार, आलाकत्त बरामद

घटना का संक्षिप्त ववरण

दिनांक 30.06.2026 को ग्राम डुढाव, थाना औराई, जनपद भदोही में आबादी भूमि के निर्माण कार्य के ववाद को लेकर वपक्षी गरजाशंकर पुत्र स्व० लालजी सहित अन्य लोगों ने पी इत सीताराम पुत्र राजनारायन के घर पर गाली-गलौज करते हुए पहुँचा और पी इत के साथ-साथ उसकी पुत्री पर भी फावड़े से प्रहार कर गम्भीर चोटें पहुँचाईं। बचाव में आए सुबाष को लाठी-डंडे से पीटा गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना औराई पर मु०अ०सं० 280/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 191(2), 109(1) बीएनएस दर्ज की गई। तत्पश्चात व धक कार्यवाही प्रचलित की गई।

*** गरफ्तारी का ववरण:-***

श्री अ भनव त्यागी, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में वांछित अभियुक्तों के गरफ्तारी अभियान के क्रम में श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 16.08.2026 को भरतपुर तिराहे के पास अभियुक्त को गरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर एक अदद फावड़ा (आलाकत्त) बरामद किया गया।

*** गरफ्तार अभियुक्त का ववरण:-***

गरजाशंकर पुत्र स्व० लालजी, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम डुढाव, थाना औराई, जनपद भदोही।

*** गरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-***

नि० शेतान्धु शेखर पंकज तथा का० रंजीत सिंह, थाना औराई जनपद भदोही।